संख्या-175 /2015-1179/नौ-5-15-189बजट2014

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 12 जून, 2015

विषयः: राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद आगरा नगर में विभिन्न कार्यकमों के अन्तर्गत ठाली गयी सीवर लाइन को जनापयोगी बनाने हेतु हाउस कनैक्टिंग चैम्बरों के निर्माण हेतु निर्धारित लागत रू0 3765.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 51/नागर-2/033-0304/15, दिनांक 12.02.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद आगरा नगर में विभिन्न कार्यकमों के अन्तर्गत ठाली गयी सीवर लाइन को जनापयोगी बनाने हेतु हाउस कनैक्टिंग चैम्बरों के निर्माण हेतु अनुमानित लागत के सापेक्ष व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.03.2015 में निर्धारित लागत रू0 3765.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यवाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैक/ डाकघर/ पीएलए/डिपाजित खाते में नही रखी जायेगी ।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(5) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

go finance mangal font

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(9) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02 जल-मल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35- पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय पत्र संख्या- ई-8-1687/दस-2015, दिनांक 12 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-175/2015-1179/नौ-5-15-189बजट2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, आगरा ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा ।
9- महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, आगरा ।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-12/06/2015

प्रेषण संख्या:- 175-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-175-2015-1179-9-5-15-189B-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	20000000	20000000
		प्रगामी	128199000	128199000
	योग	वर्तमान	20000000	20000000
		प्रगामी	128199000	128199000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बारह करोड़ इक्यासी लाख निन्यानवे हजार

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव